भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2696

मंगलवार, 04 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

2696. श्री कीर्ति आज़ाद:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वित्तीय वर्षों (2022-23, 2023-24 और 2024-25) के दौरान भारत में वर्ष-वार और क्षेत्र-वार सकल और निवल आवक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कितना है और यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में आवक निवल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में आई तीव्र गिरावट के चिन्हित कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने निवल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रवाह पर भारतीय कंपनियों द्वारा लाभ के बड़े पैमाने पर स्वदेश आने और विदेशों में किए गए निवेश के प्रभाव के संबंध कोई आकलन किया है और यदि हां, तो निवल पूंजी प्रतिधारण को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है; और

(घ) निवेशकों के विश्वास को मजबूत करने, पूंजी को बाहर जाने से रोकने, विदेश में निवेश नीति को संरेखित करने और बढ़ते सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को भारत के विकास के संबंध में सतत निवल निवेश में परिवर्तित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क): आरबीआई से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वित्त वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के दौरान भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और भारत में निवल एफडीआई का विवरण निम्नानुसार हैं:-

तालिका-क: भारत में एफडीआई

(राशि बिलियन अमेरिकी डॉलर में)

क्रम सं.	**वित्त वर्ष**	**निवल अंतर्वाह**	**प्रत्यावर्तन/विनिवेश**	**भारत में एफडीआई**
	(क)	*(ख)*	*(ग)*	*(घ) = (ख) – (ग)*
1	2022-23	71.4	29.4	42.0

2	2023-24	71.3	44.5	26.8
3	2024-25	80.6	51.5	29.1

तालिका- ख: निवल एफडीआई

क्रम सं.	**वित्त वर्ष**	**भारत में एफडीआई**	**भारत से एफडीआई**	**सकल एफडीआई**
	(क)	***(ख)***	***(ग)***	***(घ) = (ख)-(ग)***
1	2022-23	42.0	14.0	28.0
2	2023-24	26.8	16.7	10.2
3	2024-25	29.1	28.2	1.0

उपर्युक्त तालिका-क में दिए गए अनुसार भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को सकल एफडीआई अंतर्वाह जिसमें इक्विटी अंतर्वाह, पुनर्निवेशित आय और अन्य पूंजी शामिल हैं, में से प्रत्यावर्तन और विनिवेश को घटाकर इसका निवल प्राप्त किया गया है। तालिका-ख में दिए गए आंकड़े के अनुसार, निवल एफडीआई आंकड़े, तालिका-क में गणना की गई भारत में एफडीआई के आंकड़ों से भारतीय संस्थाओं द्वारा ओडीआई (विदेश में किए गए प्रत्यक्ष निवेश) को घटाकर निकाला गया है। क्षेत्रवार विवरण केवल एफडीआई अंतर्वाह के इक्विटी घटक के लिए रखा जाता है। वित्त वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के दौरान इक्विटी अंतर्वाह के माध्यम से संसूचित एफडीआई का वर्ष-वार और क्षेत्र-वार विवरण **अनुबंध** दिया गया है।

(ख) से (घ): सकल एफडीआई अंतर्वाह वर्ष 2012-13 के 34 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2025-26 94.84 अमेरिकी डॉलर हो गया है। वर्ष 2025-26 का सकल अंतर्वाह वर्ष 2024-25 (80.62 अमेरिकी डॉलर) की तुलना में 17% की वृद्धि दर्शाता है। यह वित्त वर्ष में रिपोर्ट किया गया अब तक का सबसे अधिक एफडीआई अंतर्वाह है। निवल एफडीआई अंतर्वाह में नवीनतम प्रवृत्ति भारत द्वारा एफडीआई में वृद्धि के साथ-साथ अधिक प्रत्यावर्तन से संबद्ध है। ओडीआई बहिर्वाह में वृद्धि, भारतीय उद्यमों की बढ़ती वैश्विक आकांक्षाओं और क्षमताओं को रेखांकित करती है क्योंकि वे रणनीतिक परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करने, नए बाजारों तक पहुंचने और उन्नत प्रौद्योगिकियों का दोहन करने के लिए विदेशों में उद्यम करते हैं। प्रत्यावर्तन/विनिवेश एक परिपक्व निवेश इकोसिस्टम का संकेत हैं जहां विदेशी निवेशक भारतीय उद्यमों को

सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने और घरेलू निवेशकों को स्वामित्व का हस्तांतरण के बाद निवेश का मुद्रीकरण कर रहे हैं जिससे घरेलू पूंजी और उद्यमशीलता क्षमता को मजबूती मिल रही है।

सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने और सुविधा प्रदान करने के लिए विभिन्न उपाय/पहलें शुरू की हैं जैसे मेक इन इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, स्टार्टअप इंडिया, विभिन्न क्षेत्रों के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीमें, फोकस सब सेक्टर्स, चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी), एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी), औद्योगिक सूचना प्रणाली (आईआईएस) जो क्लस्टर, पार्क, नोड, जोन आदि सहित औद्योगिक क्षेत्रों काजीआईएस-सक्षम डेटाबेस प्रदान करता है, और एक व्यापक सिंगल विंडो सिस्टम (निवेश अनुमोदन प्रकोष्ठ)।

एफडीआई को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने एक निवेशक अनुकूल नीति तैयार की है, जिसमें कुछ रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को छोड़कर, अधिकांश क्षेत्र स्वत: अनुमोदन मार्ग के तहत 100% एफडीआई के लिए खुले हैं। 90% से अधिक एफडीआई अंतर्वाह स्वत: अनुमोदन मार्ग के तहत प्राप्त होता है। भारत में किसी भी उद्योग को शुरू करने और आवश्यक अनुमतियां लेने के लिए निवेशकों हेतु भारत सरकार के ऑनलाइन सिंगल पॉइंट इंटरफेस के रूप में राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम (एनएसडब्ल्यूएस) भी शुरू किया है। पेंशन, अन्य वित्तीय सेवाएं, परिसम्पत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां, प्रसारण, फार्मास्यूटिकल्स, सिंगल ब्रांड खुदरा व्यापार, निर्माण और विकास, पावर एक्सचेंज, ई-कॉमर्स कार्यकलाप, कोयला खनन, अनुबंध विनिर्माण, डिजिटल मीडिया, नागर विमानन आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में एफडीआई नीति के प्रावधानों को उत्तरोत्तर उदार और सरल बनाया गया है। हाल के दिनों में, रक्षा, बीमा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, दूरसंचार और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में एफडीआई नीति में सुधार किए गए हैं।

इन सुधारों को पूरा करने के लिए, देशभर में एक सुव्यवस्थित व्यवसाय विनियामक फ्रेमवर्क सुनिश्चित करने और निवेश आकर्षित करने के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने हेतु राज्यों को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए गए हैं। भारत सरकार ने विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों

द्वारा शुरू किए गए सकारात्मक व्यवसाय ईकोसिस्टम के साथ-साथ लॉजिस्टिक्स कार्यनिष्पादन के उदाहरणों को संभावित निवेशकों को संप्रेषित करने के लिए व्यवसाय सुधार कार्य योजना (बीआरएपी) 2024 रैंकिंग और लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स (लीड्स) 2024 की रिपोर्ट जारी की है। विनियामक अनुपालन बोझ (आरसीबी) कार्यक्रम के तहत, वर्ष 2020 से अब तक 47,865 अनुपालनों को कम किया गया हैं, जिनमें से 16,136 को सरल बनाया गया, 22,289 का डिजिटलीकरण किया गया, 5170 को गैर-अपराधीकृत किया गया, 4,270 अनावश्यक अनुपालनों को हटाया गया है। जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2023 के माध्यम से, सरकार ने 19 मंत्रालयों/विभागों के 42 केंद्रीय अधिनियमों में 183 प्रावधानों को गैर-अपराधीकृत किया है। जन विश्वास अधिनियम, 2023 के आधार पर, सरकार ने केंद्रीय कानूनों की व्यापक समीक्षा की और जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2026 प्रस्तुत किया गया, जो 23 मंत्रालयों द्वारा प्रशासित सभी 79 केंद्रीय अधिनियमों के 784 प्रावधानों में संशोधन करता है। इनमें से, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए 717 प्रावधानों को गैर-अपराधीकृत किया गया है, जबकि ईज ऑफ लिविंग को सुविधाजनक बनाने के लिए 67 प्रावधानों में संशोधन किया गया है।

इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत एक आकर्षक और निवेशक अनुकूल गंतव्य बना रहे, सरकार एफडीआई नीति की नियमित आधार पर समीक्षा करती है और समय-समय पर परिवर्तन करती है।

अनुबंध

दिनांक 04.08.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2696 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

अप्रैल 2022 से मार्च 2025 तक क्षेत्रवार और वित्त वर्षवार एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह

(राशि मिलियन अमेरिकी डॉलर में)

क्रम सं.	क्षेत्र	2022-23	2023-24	2024-25	संचयी एफडीआई
1.	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर	9,394.22	7,972.79	7,813.69	25,180.70
2.	सेवा क्षेत्र (वित्त, बैंकिंग, बीमा, गैर वित्तीय/व्यवसाय, आउटसोर्सिंग, अनुसंधान एवं विकास, कूरियर, तकनीकी परीक्षण और विश्लेषण, अन्य)	8,706.93	6,640.24	9,347.25	24,694.42
3.	ट्रेडिंग	4,792.28	3,864.88	4,175.54	12,832.71
4.	गैर-पारंपरिक ऊर्जा	2,499.99	3,764.06	4,011.86	10,275.91
5.	निर्माण (अवसंरचना) गतिविधियां	1,703.40	4,232.16	2,244.55	8,180.11
6.	ऑटोमोबाइल उद्योग	1,902.21	1,524.22	1,586.31	5,012.73
7.	ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स	2,058.42	1,064.22	891.43	4,014.07
8.	अस्पताल और डायग्नोस्टिक सेंटर	809.60	1,530.06	1,558.83	3,898.49
9.	विद्युत	697.92	1,701.50	1,428.57	3,827.99
10.	रसायन (उर्वरकों के अलावा)	1,850.01	843.97	1,060.56	3,754.53
11.	इलेक्ट्रॉनिक्स	539.98	695.74	2,043.04	3,278.77
12.	विद्युत उपकरण	909.11	1,049.37	531.49	2,489.96
13.	सीमेंट और जिप्सम उत्पाद	1.89	613.44	1,812.56	2,427.89
14.	परामर्श सेवाएं	605.43	734.65	1,061.03	2,401.12
15.	शिक्षा	1,443.24	344.01	468.24	2,255.48
16.	होटल और पर्यटन	328.04	511.10	1,307.48	2,146.61
17.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	895.84	608.31	540.76	2,044.91
18.	सूचना एवं प्रसारण (प्रिंट मीडिया सहित)	465.61	852.91	712.63	2,031.14
19.	दूरसंचार	712.95	281.66	746.20	1,740.82
20.	समुद्री परिवहन	529.80	1,095.81	65.74	1,691.35
21.	हवाई परिवहन (हवाई फ्रेट सहित)	215.73	97.38	1,349.25	1,662.35

22.	चिकित्सा और शल्य चिकित्सा उपकरण	397.20	482.83	626.99	1,507.03
23.	धातुकर्म उद्योग	218.59	286.21	950.99	1,455.79
24.	विविध उद्योग	409.94	462.25	539.55	1,411.75
25.	औद्योगिक मशीनरी	260.88	406.52	509.65	1,177.05
26.	निर्माण विकास: टाउनशिप, आवास, निर्मित अवसंरचना और निर्माण-विकास परियोजनाएं	146.62	254.65	528.55	929.83
27.	खुदरा व्यापार	506.71	165.51	204.76	876.97
28.	कृषि मशीनरी	742.06	2.22	17.08	761.35
29.	वस्त्र (डाईड, प्रिंटिड सहित)	154.72	309.72	254.77	719.21
30.	किण्वन उद्योग	307.22	107.00	191.79	606.02
31.	प्राइम मूवर (अन्य विद्युत जनरेटर)	115.26	279.00	204.54	598.79
32.	कृषि सेवाएं	450.70	57.23	41.01	548.95
33.	विविध यांत्रिक और इंजीनियरिंग उद्योग	103.58	284.37	153.68	541.63
34.	पुस्तकों की छपाई (लिथो प्रिंटिंग उद्योग सहित)	76.37	209.02	108.22	393.60
35.	रबर की सामग्री	160.17	135.35	81.50	377.02
36.	साबुन, कॉस्मेटिक्स और टॉयलेट के अन्य सामान	111.57	75.16	92.50	279.24
37.	मशीन टूल्स	42.95	135.43	81.66	260.04
38.	खनन	167.15	72.58	8.11	247.84
39.	वैज्ञानिक उपकरण	70.33	70.54	85.53	226.40
40.	हीरा, सोने के आभूषण	25.50	37.97	157.70	221.18
41.	रेलवे से संबंधित घटक	2.83	177.18	20.54	200.54
42.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	107.55	32.58	28.07	168.20
43.	सिरेमिक्स	83.24	35.25	35.49	153.98
44.	वनस्पति तेल और वनस्पति	15.74	59.35	62.21	137.30
45.	अर्थ-मूविंग मशीनरी	33.20	22.62	69.37	125.18
46.	चमड़ा, चमड़े का सामान और पिकर्स	33.11	49.06	42.08	124.25
47.	चाय और कॉफी (प्रसंस्करण और वेयरहाउसिंग कॉफी और रबड़ हेतु)	71.22	10.28	38.84	120.34

48.	कागज और लुग्दी (कागज उत्पाद सहित)	27.23	55.46	30.22	112.91
49.	कांच	58.07	18.05	23.66	99.78
50.	गोंद और जिलेटिन	9.60	72.07	17.32	98.98
51.	लकड़ी के उत्पाद	22.24	8.89	30.59	61.71
52.	वाणिज्यिक, कार्यालय और घरेलू उपकरण	20.07	10.58	9.03	39.68
53.	उर्वरक	9.34	9.07	8.81	27.22
54.	चीनी	6.05	1.65	2.13	9.84
55.	रक्षा उद्योग	3.27	4.09	1.87	9.23
56.	डाई-स्टफ्स	1.15	1.10	0.50	2.75
57.	बॉयलर और भाप उत्पादन संयंत्र	-	0.06	1.19	1.25
58.	औद्योगिक उपकरण	-	-	0.42	0.42
कुल		**46,034.05**	**44,423.35**	**50,017.90**	**140,475.31**
